सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. DS/17/2018/MHRD2/DEOTH/RU-III **Date: 04.04.2019**

To,

1. **The Principal/Director,
A & U Tibbia College & Hospital,
Ajmal Khan Road, Block – 56, Karol
Bagh, New Delhi – 110005**

2. **The Assistant Director (Medical),
University of Delhi,
Faculty of Ayurvedic & Unani Medicine,
6th Floor, V.P.C.I. Building, Delhi - 110007**

Sub: **Proceeding of sitting taken by Hon'ble Vice - Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on. 27.03.2019 at 03.00 p.m.** in the matter Dr. Devika Singh, E-32, Budh Nagar, Indrapuri, New Delhi – 110022 regarding Allotment of ST seat to SC Category in Delhi University Quota in AIAPGET-2018.

I am directed to enclose herewith Proceeding of Sitting held on 27.03.2019 at 03.00 P.M. on the above cited subject.

It is, requested that **action taken report** in the matter may please be sent to the Commission **before 11th april 2019**.

Encl: As above.

Yours faithfully,

4/4/2019

**(Dr. Lalit Latta)
Director**

Copy for information and necessary action to:

1. Dr. Devika Singh,
E-32, Budh Nagar, Indrapuri,
New Delhi – 110022

2. PS to Hon'ble Vice - Chairperson, NCST

3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(DS/17/2018/MHRD2/DEOTH/RU- III)

डॉ देविका सिंह, E-32, बुद्धनगर, इंद्रपुरी, नई दिल्ली - 110022 द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में AIAPGET- 2018 के तहत नमांकन में अनुसूचित जनजाति की सीट अनुसूचित जाति को आवंटित किए जाने के संबंध में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में सुश्री अनुसुईया उईके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 27/03/2019 को दोपहर 3.00 बजे आयोग में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि	:	27/03/2019
बैठक में उपस्थित अधिकारी	:	परिशिष्ट

(1.) डॉ देविका सिंह E-32, बुद्धनगर, इंद्रपुरी, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23/10/2018 को दिल्ली विश्वविद्यालय में AIAPGET- 18 के तहत नामांकन में अनुसूचित जनजाति की सीट को परिवर्तित कर अनुसूचित जाति को दिए जाने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया था। आयोग द्वारा संज्ञान लेकर दिनांक 29/10/2018 को दिल्ली विश्वविद्यालय और आयुष मंत्रालय को नोटिस जारी कर जानकारी मंगाई थी।

(2.) मामले में आयोग द्वारा दिनांक 13/02/2019 को बैठक की गई थी। बैठक में आयुष मंत्रालय से विजयलक्ष्मी, उप सचिव, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से डॉ. सुजाता कदम, दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉ. विवेक भूषण, विभागाध्यक्ष व डॉ. प्रदीप कुमार, कुलसचिव और अभ्यावेदक डॉ.देविका सिंह उपस्थित थे। बैठक के दौरान सभी पक्षों को सुनने तथा दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात आयोग ने अनुशंसा की थी। आयोग की अनुशंसा के अनुपालन की कार्यवाही रिपोर्ट से आयोग को 7 कार्यदिवस में अवगत कराने को कहा गया था। विश्वविद्यालय द्वारा अपनी कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने पर दिनांक 27/03/2019 को दोपहर 3.00 बजे पुनः बैठक आयोजित की गई।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(3.) बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से विभागाध्यक्ष डॉ विवेक भूषण और श्री एस.एस नेगी, अनुभाग अधिकारी उपस्थित हुए।

(4.) बैठक के दौरान आयोग की अनुमति से, अभ्यावेदक डॉ देविका सिंह ने आयोग को बताया कि AIAPGET–18 के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय में आयुष एमडी/एमएस सहित अन्य कोर्स में नामांकन के लिए अनुसूचित जनजाति कोटा के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 1 सीट और A&U Tibbia कॉलेज में 1 सीट आवंटित थी। जिसके लिए दिनांक 22/10/2018 को काउंसिलिंग रखी गई थी। जिसमें उन्हें नामांकन के लिए बुलाया गया था। काउंसिलिंग के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 22 अक्तूबर के अलावा तीन अन्य तिथि निर्धारित की गई थी। आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए पर्सेंटाइल मानक के तहत नामांकन के लिए उनकी अहर्ता थी।

(5.) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उनकी काउंसिलिंग फीस जमा कराई गई किंतु अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित दोनों आरक्षित श्रेणी की सीटों को दिनांक 22/10/2018 को परिवर्तित कर दिया गया तथा अन्य उम्मीदवार का नामांकन किया गया। अनुसूचित जनजाति श्रेणी में वे अकेली उम्मीदवार थी लेकिन विश्वविद्यालय के निर्णय के कारण योग्यता के बावजूद उन्हें नामांकन से वंचित होना पड़ा।

(6.) विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन की अंतिम तिथि 31/10/2018 तक निर्धारित की गई थी और दिनांक 26/10/2018 को आयुष मंत्रालय द्वारा योग्यता के पैमाना को प्रतिशत से बदलकर पर्सेंटाइल कर दिया गया और नामांकन की तिथि बढ़ाकर दिनांक 15/11/2018 तक कर दिया गया। इस नियम के तहत वे नामांकन के लिए योग्य थी लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें नामांकन नहीं दिया गया। अभ्यावेदिका ने कहा कि वर्तमान सत्र में काफी समय बीत चुका है। अतः क्या विश्वविद्यालय अगले सत्र में नामांकन दे सकता है।

(7.) बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विभागाध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में निर्धारित योग्यता के अनुसार सीट खाली रह गई थी। मंत्रालय द्वारा योग्यता का पैमाना बाद में प्रतिशत से बदलकर पर्सेंटाइल किया गया। विश्वविद्यालय को आयुष, होमियोपैथी, युनानी की भी काउंसिलिंग करनी थी इस वजह से नामांकन के लिए समय अवधि कम थी।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

जिसके कारण आयुष एमडी कोर्स में दाखिले के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर दिनांक 22/10/2018 सीट परिवर्तित कर दी गई थी।

वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास सीट उपलब्ध नहीं है, मामले में आयुष मंत्रालय ही कुछ निर्णय दे सकता है। विश्वविद्यालय ने आयोग की अनुशंसा को अपने लीगल विभाग को भेजा है वहां से सुझाव प्राप्त होने के बाद ही आयोग को जवाब दे सकते हैं।

(8.)आयोग मामले में निम्नलिखित अनुशंसा करता है :-

- आयोग ने सभी पक्षों को सुनने तथा दस्तावेजों का परीक्षण करने के पश्चात पाया कि नामांकन की तिथि 22/10/2018 से लेकर 31/10/2018 तक थी। इस बीच दिनांक 26/10/2018 को आयुष मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत पर्सेंटाइल को अहर्ता मानक बनाया गया तथा नामांकन की अंतिम तिथि परिवर्तित कर 15/11/2018 तक रखी गई। इस आधार पर अभ्यावेदक नामांकन के पात्र थी। किन्तु दिल्ली विश्विद्यालय ने आश्चर्यजनक रूप से जल्दबाजी दिखाते हुए दिनांक 22/10/2018 को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट को अनुसूचित जाति में बदल दिया जो कि अनुचित है। इस संबंध में विश्वविद्यालय से नियम बताने को कहा गया किंतु इस पर आयोग को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आयोग यह मानता है कि इस मामले में अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ अन्याय किया गया है।
- मामले में तत्काल अनुसूचित जाति में बदले गए सीट को निरस्त करते हुए अभ्यावेदक डॉ देविका सिंह को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षित कोटे में नामांकन दिया जाए।
- आयोग को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 10 अप्रैल 2019 तक अपने लीगल विभाग के निर्णय से अवगत कराया जाए।

आयोग की अनुशंसा के अनुपालन की कार्यवाही रिपोर्ट से आयोग को 10 अप्रैल 2019 तक अवगत कराया जाए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- DS/17/2018/MHRD2/DEOTH/RU- III)

डॉ देविका सिंह, E-32, बुद्धनगर, इंद्रपुरी, नई दिल्ली - 110022 द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में AIAPGET- 2018 के तहत नमांकन में अनुसूचित जनजाति की सीट अनुसूचित जाति को आवंटित किए जाने के संबंध में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में सुश्री अनुसुईया उईके माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 27/03/2019 को दोपहर 3.00 बजे आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष
  - (2.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  - (3.) श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
  - (4.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी**
  - (1.) डॉ विवेक भूषण, विभागाध्यक्ष
  - (2.) श्री एस. एस नेगी, अनुभाग अधिकारी
- **अभ्यावेदक**
  - (1.) डॉ देविका सिंह